

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 6358-59/15

दिनांक 15/01/15

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मैसर्स स्टार सयसन लैण्डमार्क्स,
पता ए-28 न्यू कृष्णा पार्क
नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली

विषय:- मी0 स्टार सयसन लैण्ड मार्क्स जेरिये पार्टनर श्री निशिन कुमार गुप्ता द्वारा ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजास के खसरा नं0 117, 118, 195, 196, 201, 1266/138, 193, 207, 208, 209, 210, 211 किता 12 रकबा 19725.30 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 08.11.2014 के अनुसार ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजास के खसरा नं0 117, 118, 195, 196, 201, 1266/138, 193, 207, 208, 209, 210, 211 किता 12 रकबा 19725.30 वर्ग मी0 भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की 46वी बैठक दिनांक 18.12.2014 के एजेंडा नं0 01 पर लिये गये निर्णय अनुसार संशोधित भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंसन्) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिम्ब लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानागार, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईफिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।

13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर-मिवाड़ी भवन विनियम 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैक एवं स्टिपल् क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
 14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ वकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकसतकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
 15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
 16. भवन का कुर्सी तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
 17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक घाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
 18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
 19. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
 20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
 21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
 22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
 23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 24. आवेदक द्वारा 33 EWS व 23 LIG कुल 56 ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन इकाईयों का निर्माण न्यास द्वारा राज्य सरकार की एफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिसा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

15.1.2015
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाड़ी

संलग्न:- भवन मानचित्र ()

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, मिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15.1.2015
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाड़ी